3	4	5	6	7	8
		7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7629, 7628, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7799, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7828, 7829, 7830, 7831, 8003, 7024, 7027, 7158, 7193, and 7642.			

[No. 8/8/85–M]

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1987

का. आ. 143—केन्द्रीय सरकार, की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है;

अतः केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के आशय की सूचना देती है।

उक्त आशय पर, जो इस राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किया जाने वाला राजस्व प्लाट संख्यांक
1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	पन्ना	ग्राम नाचना	चौमुखनाथ मंदिर	सर्वेक्षण प्लाट संख्या 97

क्षेत्र	सीमा	स्वामित्व	टिप्पणियां
6	7	8	9
0.016 हेक्टर	उत्तर—सर्वेक्षण प्लाट सं. 96 पूर्व—सर्वेक्षण प्लाट सं. 96 दक्षिण—सर्वेक्षण प्लाट सं. 96 पश्चिम—सड़क	मध्य प्रदेश सरकार	धार्मिक उपयोग

[सं. 2/1/एम. पी/2/63-एम.]

जगत पति जोशी, महानिदेशक

New Delhi, the 28th December, 1987

(1)—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Lolcality	Name of monument	Revenue plot number to be included under protection	Area	Boundaries	Ownrership
1	2	3	4	5	6	7	8
Madhya Pardesh	Panna	Village Nachna	Chaumukh Nath temple	Survey plot number 97	0.016 hectares	North.—Survey plot number 96. East.—Survey plot number 96. South.—Survey plot number 96. West.—Road	Government of Madhya Pradesh

[No. 2/1/...

JAGAT PATI JOSHI, Director

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1987

आदेश

का. आ. 144.—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य ... के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के ... पालन करना बंद कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय ... के कृत्य हैं ।

और अतः क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, पूर्वी क्षेत्र में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित ... चारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय ... निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा... सूचना नहीं दी है ।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य ... स्थानांतरित करती है :—

क्रम सं.	अधिकारी कर्मचारी के नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानांतरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य ... स्थानांतरण की ता...
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरजा कान्ता दास	वाचमैन	वाचमैन	1-3-6...

[फा. सं. ए-38022/1/87—...

ओ. पी. गुप्त, ...

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 21st December, 1987

ORDER

S.O. 144.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directors of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under section 13 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) are the fu... the Food Corporation of India;

And whereas the following employee serving in the ... Directorate of Food, Eastern Region, and engaged ... performance of the functions mentioned above has ... response to the circular of the Central Government ... 16th April, 1971, intimated, within the date specified ... his intention of not becoming employee of the Food C... tion of India as required by the proviso to sub-section ... Section 12-A of the said Act;

Now, therefore in exercise of the powers conferred ... tion 12A of the Food Corporation Act, 1964 (37 of ... Central Government hereby transfer the following ...

P-162